# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/खेलकूद–4/नवीन शाला क्रीड़ा संगम/2022–23/ दिनांक : 29/03/2023

मेल

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा विभाग।

विषय : शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र संचालन हेतु दिशा–निर्देशों के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत समस्त मण्डल मुख्यालयों पर खोले गए नवीन शाला क्रीड़ा संगम केन्द्रों के सुगम संचालन हेतु निम्नानुसार निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप गतिविधियों का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, शाला क्रीड़ा संगम केन्द्रों पर मैदान, खेल गतिविधियों एवं उसके लिए आवश्यक संसाधनों/उपकरणों की उचित व्यवस्था तथा रखरखाव का प्रबोधन (मॉनिटरिंग) रखेंगे।
2. शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय–माध्यमिक के कार्यालयाधीन संचालित होने है। अतः खेल एवं खेल मैदानों के विकास की कार्य योजना उक्त कार्यालय स्तर पर निदेशालय से अनुमोदित करवाया जाना निश्चित कर तैयार करावें।
3. प्रत्येक शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र पर खेल उपकरणों को क्रय करने तथा मैदान आदि के रखरखाव हेतु शासकीय पत्र क्रमांक : प. 22(6)शिक्षा–1/2021 जयपुर, दिनांक : 06.05.2022 के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष 02 लाख रूपये जिला क्रीड़ा शुल्क (क्रीड़ा शुल्क में उपलब्ध राशि के शेष के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराते हुए) में से निदेशालय से स्वीकृति प्राप्त करने उपरांत व्यय की जाए। इस राशि के व्यय हेतु RTPP के RULE 2013 एवं ACT 2012 की पूर्ण पालना की जानी सुनिश्चित की जावें।
4. उक्त राशि जारी अधिकृति की सीमा तक ही व्यय की जाए एवं इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय के 07 दिवस में पूर्ण प्रपत्रों–विपत्रों सहित संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं उनके कार्यालय में पदस्थापित लेखाकार्मिक के प्रमाणिकरण उपरांत एक प्रति खेलकूद अनुभाग, कार्यालय हाजा को उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय–माध्यमिक अपने अधीनस्थ समस्त क्रीड़ा केन्द्र की गतिविधियों का प्रतिवेदन मासिक रूप से संकलित कर हर माह की 07 तारीख तक अनिवार्यतः इस कार्यालय की मेल आईडी dd.sports.dse@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. केन्द्र पर किसी कारणवश पद रिक्तता की स्थिति होने पर सूचना तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय–माध्यमिक के माध्यम से खेलकूद अनुभाग, कार्यालय हाजा को उपलब्ध करवाई जाए।
7. शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र के संस्थाप्रधान, केन्द्र में पदस्थापित किये जाने वाले शारीरिक शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर का संधारण कर प्रतिदिवस उपस्थिति इन्द्राज करना सुनिश्चित करेंगे।
8. शाला क्रीड़ा केन्द्र पर नियुक्त शारीरिक शिक्षक, प्रशिक्षण हेतु आने वाले विद्यार्थियों का पूर्ण विवरण संधारित करते हुए रजिस्ट्रेशन करना एवं उपस्थिति रजिस्टर का संधारण कर उनकी प्रतिदिवस की खेल गतिविधियों की उपस्थिति इन्द्राज करना सुनिश्चित करेंगे।
9. संबंधित केन्द्र के प्रधानाचार्य/संस्थाप्रधान, प्रशिक्षण हेतु आने वाले विद्यार्थियों के खेलकूद गतिविधियों का प्रतिदिवस निरीक्षण/अवलोकन करेंगे एवं उनकी जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियों अथवा सहभागिता का विवरण संधारित करेंगे। उक्त रिकॉर्ड सत्रान्त में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय–माध्यमिक से प्रमाणित करवाकर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
10. क्रीड़ा केन्द्रों पर नियुक्त किये गए शारीरिक शिक्षक आसपास के जिन विद्यालयों में खेल मैदान नहीं हैं, वहां जाकर विद्यार्थियों को क्रीड़ा संगम केन्द्र पर आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे एवं इसके संबंध में की गई गतिविधियों को रजिस्टर में इन्द्राज करेंगे साथ ही प्रशिक्षण हेतु आने वाले विद्यार्थियों को खेलों का प्रशिक्षण (प्रातः एवं सायंकाल) देने, उनमें खेल भावना जागृत करने एवं खेलों के प्रति प्रेरित करने का कार्य करेंगे।
11. जिन विद्यालयों के पास स्वयं के खेल मैदान/भूमि नहीं हैं, उन विद्यालयों में पदस्थापित शारीरिक शिक्षक खेल उपकरणों सहित छात्र–छात्राओं को संबंधित क्रीड़ा केन्द्र पर खेलकूद गतिविधियों एवं

Rajasthan Education Department

प्रशिक्षण देने के लिए प्रातः एवं सायंकाल में संबंधित केन्द्र के प्रधानाचार्य की प्रतिदिवस अनुमति पश्चात ले जा सकेंगे।

12. समस्त मण्डल मुख्यालयों पर संचालित शाला क्रीड़ा संगम केन्द्रों पर प्रतिदिवस संचालित होने वाले अभ्यास/प्रशिक्षण के वास्तविक फोटो/विडियो व्हाट्स एप ग्रुप बनाकर उसमें उपलब्ध करवाए जाएंगें जिसमें निदेशालय के खेलकूद अनुभाग प्रभारी/प्रतिनिधि को शामिल किया जाए।
13. प्रत्येक शारीरिक शिक्षक का प्रति वर्ष खेल के परिणाम के आधार पर मूल्यांकन जिशिअ मु.– मा. द्वारा किया जाकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन सत्रांत पश्चात निदेशालय को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाएगा।
14. मण्डल पर संचालित शाला क्रीडा संगम केन्द्रों पर वर्ष में चार बार आवश्यक रूप से जिशिअ मु. माध्यमिक द्वारा तथा प्रतिमाह उप जिशिअ (शा.शि.) द्वारा निरीक्षण किया जाएगा जिसका प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय के खेलकूद अनुभाग की उपरोक्त ई मेल आई डी पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
15. शाला क्रीड़ा संगम पर अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों का 14, 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग का दल (टीम) बनाया जाना अनिवार्य है, उक्त दल सीधा जिला स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी नियुक्त किये गए शारीरिक शिक्षकों की होगी।
16. समस्त शाला क्रीड़ा संगमों का वर्ष में 2 बार निदेशालय के खेलकूद अनुभाग द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाएगा तथा संधारित समस्त रिकॉर्ड की जाँच की जाएगी।
17. संगम केन्द्रों पर नियुक्त शारीरिक शिक्षक निम्न तालिका में निर्धारित समयानुसार केन्द्र पर अपनी ड्यूटी देना सुनिश्चित करेंगे:–

| क्र. सं. | ग्रीष्मकाल | शीतकाल | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.30 से 7.30 प्रातः | 7.00 से 10.00 प्रातः | मैदान में खेल गतिविधियां करवाना |
| 2 | 7.30 से 8.30 प्रातः | 10.00 से 11.00 प्रातः | संस्था प्रधान/केन्द्राधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य/क्रीड़ा केन्द्र के रिकॉर्ड संधारण करना |
| 3 | 4.00 से 7.00 सायं | 4.00 से 6.00 सायं | मैदान में खेल गतिविधियां करवाना |

18. इनके अतिरिक्त विभाग के उच्च अधिकारियों एवं खेलकूद अनुभाग, कार्यालय हाजा द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुरूप जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जानी सुनिश्चित करावें।

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय–माध्यमिक को प्रेषित कर लेख है कि दिशा–निर्देशों का उचित प्रसारण करवाकर वांछित आवश्यक कार्यवाही संपादित करें।
4. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर